सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 79/2019

दायर दिनाँक 22.02.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. केसरराम उर्फ केसरीमल पुत्र स्व0 खेमाराम उम्र 59 वर्ष, जाति जाट निवासी अलखपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्रपुरी वकील वादी

दिनाँक 15.12.2020

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, खेत खसरा नम्बर 678 रकबा 0.0600 है., खसरा सं0 682 रकबा 0.0800 है., खसरा सं0 683/1112 रकबा 3.9100 है. कुल खसरा 3 कुल रकबा 4.050 हैक्टेयर वाके सरहद अलखपुरा में अवस्थित है। इन खसरानो की खातेदारी में केसरराम उर्फ केसरीमल के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

वादी केसरराम उर्फ केसरीमल पुत्र स्व0 खेमाराम के उक्त खेत की पुरानी खतौनी खेत खसरा नम्बर 841/214 रकबा 25 बीघा है। नकल खतोनी वाद के साथ संलग्न है।

वर्तमान में समस्त राजस्व रेकर्ड राजस्थान में समस्त कृषि भुमि को बीघा से हैक्टेयर में बदला जा रहा है। इस सम्बन्ध में सरहद अलखपुरा की भुमि को बीघा से हेक्टेयर में बदलते समय वादी की भुमि का नाप हैक्टेयर में हो गया है। वादी की उक्त खसरो की भुमि के रेकर्ड में राजस्व अधिकारियों कि सवंहन व भूल वंश गलती से वर्तमान भुमि के रास्ते की राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम हो गई।

वादी के उक्त खसरान की भूमि पर व[illegible] रास्ता पूर्व की जगह ही मौजुद है। परन्तु राजस्व अधिका[illegible] रेकर्ड में गलत जगह अंकित हो गया जो गलत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 13:58:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 79 / 2019
दायर दिनाँक 22.02.2019 निर्णय दिनाँक 15.12.2020
केशराराम बनाम तहसीलदार, वगैरा।

उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की खातेदारी में वादी के खेतो के रास्ते का अलग–अलग अंकित किया हुआ है, जिसकी जानकारी वादी को दोनो प्रकार की नकल खतौनी के ट्रेश नक्शे व नजरी नक्शे के अनुसार सही रास्ते की तरमीम रेवन्यु रेकर्ड में अंकित कराने हेतु वादी का दावा करना लाजमी हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि वादी के संयुक्त वर्तमान खेत खसरा सं0 678 रकबा 1.0600 हैक्टयर, खसरा सं0 682 रकबा 0.0800 हैक्टयर, खसरा सं0 683 / 1112 रकबा 3.9100 हैक्टयर कुल खसरान 03 कुल रकबा 4.050 हैक्टयर व पुराने खसरा सं0 841 / 214 रकबा 25 बीघा वाके सरहद अलखपुरा का मिलान कर पूर्व खतोनी नक्शे के अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती कर वादी के पक्ष में न्याय हित में पुनः रास्ते का अंकन करवाया जावें।

वादी के वाद को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक 538 दिनांक 20.11.2020 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की।

तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 683 / 1112 में नक्शें में प्रदर्शित बिन्दु ए से बी के मध्य मौके पर रास्ता मौजुद है। जो आवागमन के उपयोग में आ रहा है तथा शेष भाग कृषि उपयोग में लिया जा रहा है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार मार्क ए से बी रास्ता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः तरमीम की कार्यवाही तहसीलदार के क्षैत्राधिकार में होने से तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जाता है कि सरहद अलखपुरा में ख.न. 683 / 1112 में नियमानुसार तरमीम की कार्यवाही करें। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय एवं डिक्री का अहम भाग रहेगा।

15/12/20

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 13:58:44 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल सिंह) R.A.S.(नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 15.12.2020 को ... गया।

15/12/20

(अंशुल सिंह) R.A.S.(नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **79 / 2019** दायर दिनाँक **22.02.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. केसरराम उर्फ केसरीमल पुत्र स्व0 खेमाराम उम्र 59 वर्ष, जाति जाट निवासी अलखपुरा, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **15.12.2020**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सुरेन्द्र पुरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा तरमीम की कार्यवाही तहसीलदार के क्षैत्राधिकार में होने से तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जाता है कि सरहद अलखपुरा में ख.न. 683 / 1112 में नियमानुसार तरमीम की कार्यवाही करें। । तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय एवं डिक्री का अहम भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–................ बाबत.....................–..... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.12.2020** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल [illegible], चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 13:58:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner